संख्या-56/2026/I/1285477/2026/001-71-2099-48-2025

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय:- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के अग्नि/विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण कार्यो को कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-KSSSCI/Engg./39/244/2025 दिनांक 21.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के अग्नि/विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण कार्यो को कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के अग्नि/विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण कार्यो को कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के 24-वृहद निर्माण कार्य से धनराशि रू0 881.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि रू0 440.61 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 348.08 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 92.53 लाख) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
2. लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रयोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निदेशक, संस्थान का होगा।
8. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
9. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा
10. निविदा के फर्नीचर के साईज में + 10 to 15mm के अन्तर पर प्राप्त होने वाली निविदाओं पर भी नियमानुसार विचार किया जायेगा।
11. प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। निर्माण के समय इनका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
12. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
14. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा. शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,48,08,000 (रुपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 92,53,000 (रुपये बानबे लाख तिरेपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892400 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-535--दस 2025-26- दिनांक- 27 मार्च, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-56/2026/I/1285477/2026/001-71-2099-48-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।
8. वित्त ई-3
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।